all friendly countries including Ceylon. The following are among measures of Cooperation with Ceylon :

(a) A Trade Agreement between India and Ceylon was concluded in October 1961, which is valid until it is modified or terminated by either country by giving three months notice.

(b) A line of credit of Rs. 20 million was extended to Government of Ceylon in February 1966 for importing from India cotton textiles, dried fish and chillies.

(c) In August 1967 and June 1968, two credits of Rs. 50 million each were extended to Government of Ceylon for import from India of certain types of machinery, machine tools, motor vehicles etc.

(d) A Joint Committee on Indo-Ceylon Economic Cooperation has been constituted charged with task of formulating and pursuing continuously measures for closer cooperation between the two countries. In accordance with the decisions taken at the first meeting of the Joint Committee, the promising areas for expansion of mutual trade and industrial co-operation were examined by the Joint Study Groups constituted by the Committee. Their recommendations are to be placed before the next meeting of the Joint Committee.

(e) The Government of India and Ceylon concluded an Agreement in 1966, for determining the citizenship status of the stateless persons of Indian origin in Ceylon. Government of India had devised various measures to accelerate the implementation of the Agreement including simplification of visa and travel procedures etc.

पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा भारतीय नागरिकों तथा जवानों पर आक्रमण

1001. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :**
श्री हरी सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सीमाओं पर स्थित उन क्षेत्रों के क्या नाम हैं जहां बांगला देश मुक्ति आन्दोलन के आरम्भ होने के बाद पाकिस्तानी सेनाओं ने आक्रमण किए है तथा किन-किन तारीखों को ऐसे आक्रमण किये गये ; और

(ख) इसके फलस्वरूप मरने वाले तथा घायल होने वाले भारतीय जवानों तथा नागरिकों की संख्या कितनी है तथा ऐसे आक्रमणों से हमारी संपत्ति को कितनी क्षति हुई ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). 24 मई, 1971 को पाकिस्तानी सैनिकों ने असम सीमा पर सुतारकन्डी स्थित सीमा सुरक्षा बल की बाह्य चौकी पर आक्रमण किया। सीमा सुरक्षा बल के 2 कान्स्टेबल मारे गये और 4 घायल हुए। असम सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पाकिस्तानी सेना द्वारा 2 स्त्रियों समेत 5 नागरिक मारे गये और 4 नागरिकों का अपहरण किया गया।

2. 25 मई, 1971 को पाकिस्तानी सैनिकों ने डालू में सीमा बाह्य चौकी के निकट किलापाड़ा स्थित सीमा सुरक्षा बल की पड़ताल-चौकी पर आक्रमण किया। सीमा सुरक्षा बल के 9 कर्मचारी मारे गये। असम सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 13 नागरिक भी मारे गये और 11 घायल हुए।

इन आक्रमणों में सम्पत्ति को हुई क्षति के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।